दिनांक 16 नवंबर 2018 को बराद सदन शैक्षणिक खंड, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 16 नवंबर 2018 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन सम्मेलन कक्ष में शैक्षणिक परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. नृपेन्द्रनाथ मंडल प्रोफेसर, बोस संस्थान आणविक औषधि प्रभाग, कोलकाता	-	सदस्य
3. प्रो. पूरबी रॉय पूर्व प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग यादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	-	सदस्य
4. डॉ. एन.आर. भूयाँ प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान माझीतार, पूर्वी सिक्किम	-	सदस्य
5. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
6. प्रो. नवल किशोर पासवान डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
7. प्रो. अभिजीत दत्ता डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
8. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
9. डॉ. के.आर.राम मोहन डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
10. डॉ. कविता लामा डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
11. डॉ. एस. मणिवन्नण, डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
12. प्रो. इम्तियाज़ गुलाम अहमद अध्यक्ष, विधि विभाग	-	सदस्य
13. डॉ. शिलाजीत गुहा, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग	-	सदस्य
14. प्रो. मोहम्मद यासीन अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
15. डॉ. विजय कुमार थांगेल्लापाली अध्यक्ष, इतिहास विभाग	-	सदस्य
16. डॉ. धनीराज छेत्री,	-	सदस्य

अध्यक्ष, बॉटनी विभाग

17. डॉ. एच.के.तिवारी, - सदस्य
अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

18. डॉ. कोमल सिंघा - सदस्य
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

19. डॉ. संध्या थापा - सदस्य
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

20. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, - सदस्य
अध्यक्ष, भौतिकी विभाग

21. डॉ. कृष्णेन्दु दत्ता - सदस्य
अध्यक्ष, संगीत विभाग

22. डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, - सदस्य
अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

23. डॉ. टी.एम.एस.सुबर्न राजू, - सदस्य
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग

24. डॉ. रोजी चामलिंग - सदस्य
अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग

25. डॉ. कृष्ण मुरारी - सदस्य
अध्यक्ष, प्रबंधन विभाग

26. डॉ. विमल खवास - सदस्य
अध्यक्ष, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग

27. डॉ. अनिल कुमार मिश्रा - सदस्य
अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग

28. डॉ. सत्यानंद पंडा - सदस्य
अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग

29. प्रो. शांति एस शर्मा - सदस्य
प्रोफेसर, बॉटनी विभाग

30. प्रो. जेता सांकृत्यायन - सदस्य
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

31. प्रो. संजय बंदोपाध्याय - सदस्य
प्रोफेसर,संगीत विभाग

32. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, - सदस्य
प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग

33. डॉ. ए.एन.शंकर - सदस्य
सह प्राध्यापक ,वाणिज्य विभाग

34. डॉ. नीलाद्रि बाग - सदस्य
सह प्राध्यापक ,उद्यानिकी विभाग

35. डॉ. स्वरूप रॉय - सदस्य
सह प्राध्यापक, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

36. डॉ. राजेश राज एस.एन. - सदस्य
सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

37. श्री देवाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी

38. श्री टी.के.कौल, - सचिव
कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य उनके पूर्वनिर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी

1. प्रो. सरोज कुमार पाइन, विभागाध्यक्ष, पशु विज्ञान विभाग, कृषि संस्थान, विश्व भारती विश्वविद्यालय
2. डॉ. सूचिस्मिता दता, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक
3. प्रो. ए.एस.चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष
4. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग
5. डॉ. के. बिरला सिंह, अध्यक्ष, प्राणिविज्ञान विभाग
6. डॉ. पुष्पा शर्मा, अध्यक्ष, नेपाली विभाग

डॉ. एस.के.गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहयता देने के लिए उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में सचिव ने कुलपति को शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के समक्ष परिचय कराया और प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग को पारंपरिक खडा से औपचारिक रूप से उनका स्वागत करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों ने अपना-अपना परिचय दिया।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया, विशेष रूप से नए सदस्यों अर्थात, प्रो. नृपेंद्रनाथ मंडल, प्रोफेसर, बोस संस्थान, प्रो. पुरबी रॉय, पूर्व प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता और डॉ. पुष्पा शर्मा, अध्यक्ष, विभाग नेपाली (अनुपस्थित में) को स्वागत किया।

अध्यक्ष ने प्रो. प्रताप चन्द्र प्रधान, जिन्होने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की हो, द्वारा शैक्षणीक परिषद की बैठकों में योगदान के लिए सराहना की और प्रो. वी.रा मा देवी, डॉ देबाशीष चौधरी, और डॉ. बृजेश कुमार पांडे की सेवा से इस्तीफा दे दिया, की शैक्षणीक परिषद की बैठकों में योगदान के लिए सराहना की। इसके बाद, एजेंडा विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड -1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एसी 24.1.1: ***दिनांक 12 जून 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति***

दिनांक 12 जून 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 23 वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 27 जून 2018 को परिचालित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

परिषद ने 12 जून 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 23 बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 27 जून 2018 को परिचालित किए परिचालित किए जाने के अनुसार पुष्टि की ।

एसी 24.1.2: ***दिनांक 12 जून 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने परिषद की 23 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

एसी 24.2.1: विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सिनोप्सिस

परिषद ने प्रत्येक विद्यापीठ में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सिनोप्सिस को नोट किया।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

शून्य

खंड -4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों, आदि के पैनल

एसी 24.4.A1: *बाह्य परीक्षकों का पैनल*

परिषद ने संबंधित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित तालिका के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षकों के पैनल को मंजूरी दी:

क्र.सं.	विद्यापीठों का नाम	विभाग का नाम	आमंत्रित किए जानेवाले बाह्य परीक्षक
1)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	हिंदी	एमफिल शोध निबंध
		नेपाली	एमफिल शोध निबंध एवं पीएचडी शोध प्रबंध
2)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	शिक्षा	पीएचडी शोध प्रबंध
		पर्यटन	एमफिल शोध निबंध
		जनसंचार	पीएचडी शोध प्रबंध एवं एमए शोध निबंध
3)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	भौतिकी	पीएचडी शोध प्रबंध
		रसायनिकी	एमफिल शोध निबंध
		भूविज्ञान	एमएससी प्रायोगिक और शोध निबंध
4)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	भूगोल	पीएचडी शोध प्रबंध और एमफिल शोध निबंध
		मनोविज्ञान	पीएचडी शोध प्रबंध
		मानवशास्त्र	एमएससी प्रायोगिक और शोध निबंध
5)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	इतिहास	एमफिल शोध निबंध एवं

			पीएचडी शोध प्रबंधन
		समाजशास्त्र	एमफिल शोध निबंध
		पीसीएस एंड एम	पीएचडी शोध प्रबंध
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पीएचडी शोध प्रबंध
		अर्थशास्त्र	पीएचडी शोध प्रबंध

परिषद ने उल्लेख किया कि पर्याप्त एजेंडा आइटम की कमी के कारण जीवन विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। हालांकि, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के अध्ययन बोर्ड ने पीएचडी शोध के लिए बाहरी परीक्षक का पैनल प्रस्तुत किया, जिसे डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया और परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया गया। सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में पीएचडी शोध के लिए परीक्षक के पैनल को सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के अध्ययन बोर्ड, जीवन विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन को शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया गया।

ख. पाठ्य-विवरण से संबन्धित विषय/पाठ्यक्रम आदि

एसी 24.4.B1: लेप्चा में एमए पाठ्यक्रम के पाठ्य-विवरण में संशोधन

डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ ने सभी सोलह पेपरों के एकीकरण में पेपर के शीर्षकों में मामूली बदलाव और मामूली पुनर्व्यवस्था करने का सुझाव देते हुए इस मद को प्रस्तुत किया।

परिषद ने लेप्चा में एमए पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण के संशोधन को मंजूरी दी।

एसी 24.4.B2: लिम्बू में एमए पाठ्यक्रम के पाठ्य-विवरण में संशोधन

डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ ने इस मद को पाठ्यविवरण में शोध प्रविधि पर पेपर को शामिल करने और कुछ पेपर को दूसरे सेमेस्टर में हस्तांतरण करने और सभी सोलह पेपरों के एकीकरण में पुन: व्यवस्थित करने का सुझाव दिया।

परिषद ने लिम्बु में एमए पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के संशोधन को मंजूरी दी।

एसी 24.4.B3: जनसंचार के एमए पाठ्यक्रम में मामूली संशोधन

अध्यक्ष, जनसंचार विभाग ने जनसंचार के एमए पाठ्य-विवरण में कुछ में मामूली बदलाव के लिए इस मद को प्रस्तुत किया।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने जनसंचार के एमए पाठ्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी।

एसी 24.4.B4: चार वर्षीय बीएससी नर्सिंग के लिए पाठ्य-विवरण

बीएससी नर्सिंग के लिए पाठ्यचर्या विकास समिति (सीडीसी) के अध्यक्ष डॉ. सत्यानंद पंडा ने इस मद को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षण संकायों और विश्वविद्यालय के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में आयोजित बैठक में बीएससी नर्सिंग के पाठ्य-विवरण को भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा

दिए गए मॉडल पाठ्यक्रम को छेड़छाड़ किए बिना सेमेस्टर भर में लगभग समान क्रेडिट का वितरण के साथ उसी क्रम में बनाए रखते हुए संशोधित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा पाठ्यक्रम वार्षिक आधार पर दिया जाता है और इसे सेमेस्टर में तब्दील करने का प्रयास किया गया है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने उपरोक्त सुझाव के अनुसार संशोधन के साथ चार साल के बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। यह छात्रों को जब वे दोनों (थ्योरी या प्रैक्टिकल) में से किसी में भी असफल हो जाते हैं, तब संबंधित सेमेस्टर में सिद्धांत या व्यावहारिक दोनों में पुन: बैठने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ग. संविधियाँ/अध्यादेश/विनियमों से संबन्धित विषय

एसी 24.4.C1: ***शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम, 2018 को अपनाना***

परिषद ने उल्लेख किया कि शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम, 2010 को शैक्षणिक परिषद द्वारा दिनांक 3 जून 2016 को आयोजित परिषद की 19 वीं बैठक में अपनाया गया था। दिनांक 18 जुलाई 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपायों के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम 2018 को अपनाने के लिए कार्यकारी परिषद को सिफ़ारिश की।

एसी 24.4.C2: ***उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम 2018 को अपनाना***

परिषद ने उल्लेख किया कि यूजीसी ने 23 जुलाई 2018 को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। परिषद ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय वर्तमान में शैक्षणिक अखंडता और साहित्यिक चोरी की रोकथाम की नीति है जिसमें हम किसी भी थीसिस/शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं जहां साहित्यिक चोरी (उद्धृत कार्य, संदर्भ, ग्रंथ सूची, सामग्री की तालिका, प्रस्तावना और पावती आदि को छोड़कर) 20% से अधिक हो। यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमन में चोरी की सहिष्णुता सीमा केवल 10% तक है। साथ ही यूजीसी के विनियमन ने विभागीय शैक्षणिक एकीकृत पैनल (डीएआईपी) और संस्थागत शैक्षणिक एकीकृत पैनल (आईएआईपी) और निर्धारित दंड निर्धारित किए हैं।

पूरी तरह से विचार-विमर्श करने के बाद परिषद ने सभी आवश्यक अनुमति के साथ उद्धृत कार्य अथवा आरोपण, संदर्भ, ग्रंथ सूची, सामग्री की तालिका, प्रस्तावना, पावती, सामान्य शब्द, कानून,

मानक प्रतीक और मानक समीकरण को छोड़कर 10% तक की साहित्यिक चोरी सहिष्णुता के सिद्धांत के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता और साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम 2018 को अपनाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। यह भी सिफारिश की कि कुलपति सिफारिशों के अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए कि उन्हें विश्वविद्यालय में कैसे लागू किया जा सकता है और साहित्यिक चोरी के लिए सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए भी एक समिति का गठन करें।

एसी 24.4.C3: पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने की तिथि में वृद्धि करने के लिए दिशा-निर्देश

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के डीन ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने कहा कि सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ने थीसिस जमा करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में कुछ मुद्दों का सामना किया है और इसलिए, विस्तार के ऐसे प्रस्तावों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

परिषद ने प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था। परिषद ने पीएचडी जमा करने के लिए समय-सीमा वृद्धि प्रदान करने के लिए एक समान दिशा-निर्देश रखने के लिए चाहती थी और साथ-साथ शोध विभागीय अनुसंधान समिति के अधिकार को किसी अन्य समिति द्वारा लेना नहीं चाहती थी।

परिषद ने डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा मुद्दों को उठाने और दिशानिर्देशों के सुझाव के प्रयासों की सराहना की। हालाँकि, पूर्व की कार्यवाही की पैरा में परिषद के अवलोकन के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया कि कुलपति एक समिति का गठन करें, जो पीएचडी जमा करने के लिए समय बढ़ाने के अनुदान में शामिल मुद्दों पर विचार करें और शोध और विभागीय अनुसंधान समिति की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट शब्दों निर्धारित करें।

घ. विविध विषय

एसी 24.4.D1: *परियोजना के ऊपरी व्यय राशि से अनुबंध आधारित कर्मचारियों की नियुक्ति*

परिषद ने कहा कि विश्वविद्यालय किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसी से अतिरिक्त भिति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए शिक्षण संकाय को प्रोत्साहित करता है और वर्तमान में सभी विश्वविद्यालय विभागों के पास कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ है। विश्वविद्यालय के अधिग्रहण शुल्क जो आम तौर पर 20% या मानदंडों के अनुसार एजेंसी से प्राप्त होते हैं। ओवरहेड शुल्क के कोष का एक हिस्सा विश्वविद्यालय के अनुसंधान परियोजना के अनुदान और संकाय सदस्यों को प्रकाशन पुरस्कार के लिए उपयोग किया जाता है। परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है क्योंकि यूजीसी ने अपनी नीति के अनुसार प्रशासनिक कर्मचारियों को 1: 1:1 के अनुपात में एक संकाय के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों को मंजूरी नहीं दी है। यह वर्तमान में स्वीकृत प्रत्येक संकाय की स्थिति के लिए 0.70 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि जीवन विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड और अन्य विद्यापीठों ने (अनुसंधान परियोजनाओं के ओवरहेड शुल्क का प्रबंधन के दिशा-निर्देश 2017) की धारा 5 (ए) के तहत टाइपिंग/कंप्यूटर ऑपरेटर/अकाउंटिंग आदि जैसे सचिवीय सहायता सहित मैनपावर की भर्ती के लिए वित्तपोषित एजेंसियों से प्राप्त राशि से ऊपरी व्यय से अनुबंध आधार पर नियुक्त करने के लिए सुझाव दिया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की है कि प्रत्येक परियोजना के लिए वित्तपोषित एजेंसी से प्राप्त समग्र ऊपरी व्यय मद से संविदात्मक कर्मचारियों के अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। परिषद ने इसने यह भी सिफारिश की कि समग्र निधि का उपयोग 30:70 के अनुपात में मानवशक्ति को काम पर रखने और अनुसंधान के उद्देश्य से किया जाएँ।

खंड 5

प्राधिकरणों/समितियों के कार्यवृत्त

एसी 24.5.1: दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 24.5.2: दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को भौतिक विज्ञान विद्यापीठ की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 24.5.3: दिनांक 2 नवंबर 2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 23.5.4: दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को मानव विज्ञान विद्यापीठ की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 24.5.5: दिनांक 9 नवंबर 2018 को सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

सूचीबद्ध विषय

एसी 24.5.6: दिनांक 14 नवंबर 2018 को आयोजित महविद्यालय विकास परिषद की 10 वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने उल्लेख किया कि 14 नवंबर 2014 को महाविद्यालय विकास परिषद की 10 वीं बैठक आयोजित की गई थी।

परिषद ने कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति की निम्नलिखित कार्रवाई के अनुसमर्थन के लिए सिफ़ारिश की।

i) सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईएसटी) चिसोपानी, दक्षिण सिक्किम को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से अस्थायी संबंद्धता प्रदान करने में।

ii) सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गंगटोक को 40 छात्रों के साथ बी.एससी (नर्सिंग) की पढ़ाई शुरू करने के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने में, गंगटोक में।

iii) सरकारी फार्मेसी कॉलेज, सोजोंग, रुमटेक को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 60 छात्रों के प्रवेश के साथ बी.फार्मा कोर्स शुरू करने के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करना।

परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दस कॉलेजों / विषयों कि अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की।

क्र.सं.	महाविद्यालयों का नाम	निरीक्षण समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टीम द्वारा टिप्पणी
1	सिक्किम सरकारी बी.एड कॉलेज, सोरेंग, वेस्ट सिक्किम	24.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
2	सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुङ्ग, वेस्ट सिक्किम	24.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
3	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, वेस्ट सिक्किम	25.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
4	सरकारी वोकेशनल कॉलेज, डेंताम, वेस्ट सिक्किम	25.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
5	हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार, ईस्ट सिक्किम	26.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
6	सरकारी महाविद्यालय, रिनोक, ईस्ट सिक्किम	26.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
7	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम	27.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
8	नामगयाल तीबेटोलॉजी संस्थान, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम	27.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
9	नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरांग, नामची, साउथ सिक्किम	28.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति
10	लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची, साउथ सिक्किम	28.09.2018	शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए विषय/पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की संस्तुति

खंड 6

अध्यक्ष की ओर से विषय

एसी 24.6.1: डॉ. कबिता लामा, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ ने बताया कि यूजीसी ने भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों जर्नलों को शामिल करते हुए नेपाली भाषा और साहित्य की कुछ पत्रिकाओं को सूची से हटा दिया है। यह बताया गया कि यूजीसी ने सूची में अनुसंधान पत्रिकाओं को शामिल करने के लिए कुछ मापदंड रखे हैं। हो सकता है कि वे पत्रिकाएँ उन मानदंडों को पूरा न कर रही हों।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव
शैक्षणिक परिषद

हस्ता/-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
शैक्षणिक परिषद